

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र०, लखनऊ

लखनऊ:दिनांक 30.10.2022

**यू०पी० नीट पी०जी०-2022-23 की द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग हेतु
महत्वपूर्ण निर्देश।**

- क्षेत्रीय नेत्र संस्थान, सीतापुर में प्रवेश हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि संस्थान में संचालित एम०एस० आर्थलमोलॉजी पाठ्यक्रम हेतु किसी भी प्रकार का छात्र वेतन (Stipend) देय नहीं है। अतएव अभ्यर्थी उक्त के संज्ञान लेने के उपरान्त ही च्वाइस फिल करे।
- ऑल इण्डिया कोटा की प्रथम एवं द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग से प्रवेशित अभ्यर्थी यू०पी० नीट पी०जी०-2022 की काउंसिलिंग हेतु अर्ह नहीं है।
- निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजो मे आवंटन प्राप्त/प्रवेशित समस्त अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजो मे प्रवेशित अभ्यर्थियों को दिये जाने वाले छात्रवेतन(Stipend) का निर्धारण शासन/महानिदेशालय स्तर से नहीं किया जाता है। यू०पी० नीट पी०जी० 2022 की प्रथम चक्र की काउन्सिलिंग से पूर्व छात्रहित मे विभागीय वेबसाइट पर अभ्यर्थियों के लिए जारी महत्वपूर्ण सूचना/निर्देश मे यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि:-

“निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेंटल कालेज/विश्वविद्यालय में प्रवेश हेतु इच्छुक अभ्यर्थी सम्बन्धित कालेज के बारे मे स्वयं अथवा उनके अभिभावक सम्पूर्ण जानकारी अपने स्तर से प्राप्त करने के उपरान्त ही च्वाइस लॉक करें। अन्यथा की स्थिति मे इस कार्यालय का कोई उत्तर दायित्व नहीं होगा।”

अतः निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजो मे प्रवेशित अभ्यर्थी अपने छात्रवेतन (Stipend) के संबंध मे प्रवेशित कालेज से सम्पर्क स्थापित करे।

महानिदेशक।